"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2017—कार्तिक 19, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक ई 1-15/2017/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नीलकंठ टीकाम, भा.प्र.से. (2008), संयुक्त सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, जल संसाधन तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री समीर विश्नोई, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

श्री समीर विश्नोई द्वारा संयुक्त मुख्य निर्वचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री डी.डी. सिंह, भा.प्र.से. (2000), सचिव, सहकारिता, सामान्य प्रशासन विभाग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी केवल संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत रहेगा.

श्री समीर विश्नोई द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. (2004), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्रमांक 1027/एफ 2016-04-03128/स्था./चार.—इस विभाग के आदेश क्र. 655/एफ 2016-04-03128/स्था/चार, दिनांक 30-06-2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-41/2016/एक-6, दिनांक 14-07-2017 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती आर शंगीता, संचालक बजट, वित्त विभाग को उनके संचालक, बजट के कार्यभार दिनांक 29-05-2017 से पदेन संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ होने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन करता है.

2. श्रीमती शंगीता के अवकाश काल/दौरे आदि के समय उनके (संचालक, बजट के) वित्त विभाग, मंत्रालय में लिंक अधिकारी ही संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली के लिए लिंक अधिकारी होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 20-36/2017/11/6..—राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-6 (अ) स्टार्ट अप पैकेज के बिन्दु 9.2 अनुसार अधिसूचित किराया अनुदान योजना को दिनांक 24 नवम्बर 2016 से क्रियान्वित करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट अप किराया अनुदान नियम 2016 निम्नानुसार लागू करता है :—

1. **परिचय :—** राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की स्टार्ट अप इकाईयों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014-19 में अधिसूचना क्रमांक एफ 20-36/2014/11/6 दिनांक 24 नवम्बर 2016 के द्वारा संशोधन कर दिया है. इस संशोधन के तहत् राज्य शासन की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओं में स्टार्टअप का एक नया वर्ग अधिूसचित किया है.

औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-6 (अ) स्टार्ट अप पैकेज में बिन्दु 9.2 में किराया अनुदान की नवीन योजना लागू करने का प्रावधान है. इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रुपये प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रुपये 8000/- की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी.

2. **नियम :—** ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट अप किराया अनुदान नियम 2016" कहे जायेंगे.

3. **प्रभावशील तिथि :—** ये नियम दिनांक 24 नवम्बर, 2016 से प्रभावशील होंगे.

4. **परिभाषाएं :—**

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 अनुसार अधिसूचित परिभाषाएं लागू होगी.

(2) स्टार्ट अप की वही परिभाषा मान्य होगी, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2016 को अधिसूचित की गई है. उक्त परिभाषा में समय समय पर भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन मान्य होंगे.

5. **पात्रता :—** छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप को किराया अनुदान की पात्रता होगी. यह पात्रता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

1. स्टार्ट अप पैकेज हेतु निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी.
2. अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय भी उद्योग/सेवा का वैध स्टार्ट अप यूनिट होना आवश्यक है.
3. स्टार्ट अपर की परिभाषा की वैधता अवधि पांच वर्ष/अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय यदि उद्यम/सेवा, स्टार्ट अप में वैध नहीं रह जाता है तो शेष अवधि के लिये किराया अनुदान की पात्रता नहीं होगी.
4. यदि उद्यम/सेवा स्थापित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने की तिथि से ही प्रारंभ होगी.
5. स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता हेतु अनुदान की दर एवं मात्रा वह होगी, जो अधोलिखित बन्दु क्र. 6 के तहत् दर्शायी गई है. स्टार्ट अप पैकेज हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की कोई श्रेणी नहीं होगी.
6. भारत सरकार से स्टार्ट अप का पंजीयन होने के आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा किराया अनुदान स्वीकृत किया गया है तो इस पैकेज के तहत् किराया अनुदान राज्य शासन से प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी.
7. स्टार्ट अप पैकेज का लाभ उद्योग/सेवा को प्राप्त करने की पात्रता तब तक ही रहेगी, जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है.
8. स्टार्ट अप पैकेज के अंतर्गत किरया अनुदान की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया बेवसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा.
9. यदि उद्यम/सेवा प्रस्तावित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने के पश्चात् तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् ही अधिसूचना के प्रावधान अनुसार रहेगी.

6. **अनुदान की मात्रा :—** छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रु. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रु. 8000/- की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी.

किराये की राशि में मूल किराया ही सम्मिलित होगा, पेनाल्टी, ब्याज, संधारण चार्ज, विद्युत व्यय, जल व्यय व अन्य कर सम्मिलित नहीं किये जावेंगे.

7. **प्रक्रिया व अधिकार :—**

7.1 स्टार्ट अप इकाईयों को उपाबंध-1 अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ अधोलिखित सूची में अंकित दस्तावेजों को संलग्न कर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पूर्णरूपेण आवेदन प्रस्तुत करना होगा. जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति "उपाबंध-2" में निर्धारित प्रारूप पर दी जावेगी, जिसमें आवेदन के पंजीयन क्रमांक का भी उल्लेख होगा. अपूर्ण आवेदन अधिकतम 7 दिवस की अवधि में एक बार में ही कमियां बताते हुए वापिस किये जावेंगे. त्रुटिपूर्ण होने के कारण इस तरह

लौटाये गये प्रकरण उद्यमी द्वारा पूर्ण कर पुन: प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति "उपाबंध-2" में निर्धारित प्रारूप पर दी जावेगी.

(1) उद्यम अकांक्षा

(2) सक्षम अधिकार द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र.

(3) किरायेनामा से संबंधित अनुबंध पत्र.

(4) किराये भुगतान की रसीद (प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर).

(5) स्टार्ट अप पंजीयन प्रमाण पत्र.

7.2 पात्र स्टार्ट अप इकाई द्वारा पूर्णरूपूण आवेदन प्राप्त होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उपाबंध 2 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी.

7.3 किराया अनुदान प्राप्त करने हेतु वैध स्टार्ट अप पंजीयन प्राप्त करने के उपरांत/इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक/किराये पर शेड/भवन/मकान लेने का दिनांक, जो पश्चात्‌वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर प्रथम क्लेम का आवेदन संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा.

निर्धारित कालावधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया प्रथम स्वत्व यथास्थिति सक्षम अधिकारी उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग-उद्योग संचालनालय/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं एद्योग केन्द्र द्वारा अधिकतम तीन माह की अवधि तक गुण दोष के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा. पश्चात्‌वर्ती प्रत्येक त्रैमासिक क्लेम अगले त्रैमास के अंत से पूर्व तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा.

7.4 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्टार्ट अप इकाईयों के क्लेम प्रकरणों का परीक्षण सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से करवाकर "उपाबंध-3" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा. स्वत्व नियमानुसार न होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से स्टार्ट अप इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि 45 दिवसों में अपीलीय अधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख आवश्यक होगा.

7.5 किराया अनुदान की स्वीकृति के पश्चात उद्योग संचालनालय द्वारा बजट उपलब्ध होने पर किराया अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर किया जावेगा.

7.6 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी. अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक से क्रम में किया जावेगा.

7.7 बजट आवंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेलटमेंट) पद्धति अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा. अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी.

7.8 बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा.

7.9 राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार के सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी.

7.10 भारत शासन/राज्य शासन या किसी अन्य राज्य शासन के निगमों/मंडलों/संस्थओं/बोर्ड द्वारा स्थापित स्टार्टअप को अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

7.11 यह आवश्यक है कि स्टार्टअप में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 03 वर्षों की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल्य निवासियों को प्रदाय किया गया हो.

7.12 यदि भारत शासन/राज्य शासन या इसके किसी निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक से किराया अनुदान प्राप्त किया गया हो तो इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्रता नहीं होगी.

8. **किराया अनुदान की वसुली :—**

8.1 किराया अनुदान की राशि स्टार्टअप की स्वीकृत/वितरित हो जाने के पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि स्टार्टअप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए हैं, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की जा सकेगी.

8.2 उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी.

8.3 स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किराया अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि किराया अनुदान की राशि भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सके.

8.4 स्टार्टअप इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कंडिका क्रमांक 7.11 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है, अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी.

8.5 उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं एद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर इकाई द्वारा न दी जाये.

8.6 यदि इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो.

8.7 उपर्युक्त बिन्दु 8.1 से 8.6 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाऐंगे.

9. **अपील/वाद :—**

9.1 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील संचालक/उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी.

9.2 अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) सचिव, राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी.

9.3 अपील शुल्क रुपये 500 का भुगतान करने पर ही अपील ग्राह्य होगी. अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा. द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा.

9.4 अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा.

9.5 अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए बिलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा. अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा.

10. **अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—**

(1) स्टार्टअप औद्योगिक इकाई को किराया अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा.

(2) उपरोक्त (1) की अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र. 3.10 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा.

11. **स्वप्रेरणा से निर्णय :—**राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग प्रमुख सचिव/सचिव/उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा.

12. **कार्यकारी निर्देश :—** अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे. अनुदान से संबंधित किसी मुददे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनाय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा.

13. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

14. इस योजना के अंतर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

15. **योजना का क्रियान्वयन :—** योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

"उपाबंध–1"
(नियम 4.1)

(किराया अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1. स्टार्ट अप इकाई का नाम व पता – ....
2. इकाई का कार्य स्थल –
   स्थान – ....
   विकासखंड – ....
   जिला – ....
3. उद्यम आकांक्षा क्रमांक – ....
4. वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक–(यदि लागू हो)
   4.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (स्थापित /प्रस्तावित) – ....
   4.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक – – ....
   4.3 स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में) – ....
5. किराये पर शेड/भवन/मकान लेने संबंधी विवरण – ....
6. किराये पर किया गया व्यय – ....
   (किराये की राशि में मूल किराया ही सम्मिलि होगा, पेनाल्टी, ब्याज, संधारण चार्ज, विद्युत व्यय, जल व्यय व अन्य कर सम्मिलित नहीं किये जावेंगे)

7. क्लेम राशि – ....

8. **रोजगार—**

श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजागर/प्रस्तावित रोजगार	प्रदत्त/प्रस्तावित रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अकुशल वर्ग			
अ.			
ब.			
स.			
कुशल वर्ग			
अ.			
ब.			
स.			
प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग			
अ.			
ब.			
स.			
योग			

स्थान :

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

इकाई का नाम व पता

सील

घोषणा पत्र

मै .... आत्मज .... प्रबंध संचालक/संचालक/एकल स्वामी/साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता,स्टार्टअप इकाई...................................... जिसका पंजीकृत पता .... है व .... में स्थित है व उद्यम आकांक्षा क्रमांक .... दिनांक .... एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक .... दिनांक .... है, निम्नानुसार शपथ पूर्वक घोषणाकरता हूं :—

1. इकाई .... द्वारा .... की स्थापना हेतु ....क्षेत्र में शेड/भवन/मकान किराये पर प्राप्त किया है.

2. आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी सही है.

3. औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों की किसी योजना के तहत किराया अनुदान प्राप्त नहीं किया है.

4. यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में "किराया अनुदान" प्राप्त करने के दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 03 वर्ष तक अकुशल, कुशल एवं प्रशासकीय/प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा.

5. उपरोक्त जानकारी गलत/त्रूटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी द्वारा किराया अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय निर्धाति 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के वापस की जावेगी.

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम

पद

इकाई का नाम व पता

सील

"उपाबंध–2"

(नियम 4.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

मेसर्स .... पता .... द्वारा किराया अनुदान .... का आवेदन दिनांक .... (अक्षरी) .... को प्राप्त हुआ है. प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है. भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें.

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : सक्षम प्राधिकारी/कार्यालय सील

प्रति,

....

....

....

"उपाबंध–3"

(नियम 4.4)

किराया अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ...

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... के अन्तर्गत)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक की कंडिका "5.4" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार किराया अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है.

1. स्टार्ट अप इकाई का नाम पता – ....
2. इकाई का कार्यस्थल – ....
   (स्थान, विकास खंड व जिला)
3. उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (स्थापित/प्रस्तावित) - ....
4. भुगतान किये गये किराये की राशि
   7.1 अवधि दिनांक .... से .... तक
   7.2 किराया राशि — ....
5. स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में) – ....

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी—
मांग संख्या — ....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा.

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 9-4/2013/38-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 (एक-अ) के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कार्यपरिषद् हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री शिवरतन शर्मा, 45-भाटापारा.	सुभाष वार्ड नंबर-3, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
2.	श्री श्रीचंद सुंदरानी, 50-रायपुर नगर (उत्तर).	डी-97, आर.डी.ए. पानी टंकी के पास, गुलाब सांई दरबार, टैगोर नगर, रायपुर छ.ग.
3.	श्री नवीन मारकण्डेय, 52-आरंग (अ.जा.).	विधायक कार्यालय, किसान राईस मिल परिसर, इंदिरा चौक, आरंग, जिला-रायपुर छ.ग.
4.	श्री सत्यनारायण शर्मा, 48-रायपुर ग्रामीण.	शर्मा सदन, गणेशराम नगर, बांसटाल, रायपुर छ.ग.
5.	श्री धनेन्द्र साहू, 53-अभनपुर.	संतोषी नगर, प्लास्टिक फैक्ट्री के पास, टिकरापारा, रायपुर छ.ग.

माननीय सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 (2) में दिये गये प्रावधानानुसार तीन वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नलिनी माथुर, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-09/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा 1. श्री के.के. बिसेन, भा.व.से. (1998) मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी वन संरक्षक, हाथी रिजर्व, सरगुजा अंबिकापुर को मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

2. श्री अनिल सोनी, भा.व.से. (2001) वन संरक्षक एवं संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी वनमण्डल, नया रायपुर को वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

3. श्रीमती एम. मर्सीबेला, भा.व.से. (2007) वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर को संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी वनमण्डल, नया रायपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

4. उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-07-2017 द्वारा श्री गुरूनाथन एन, भा.व.से. (2012) वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर को स्थानांतरित कर वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है.

श्री गुरूनाथन एन. की उक्त पदस्थापना आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें यथावत् वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

5. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-07-2017 द्वारा श्री गणवीर धम्मशील, भा.व.से. (2012) को वनमण्डलाधिकारी, केशकाल के पद पर पदस्थ किया गया है. उक्त आदेश संशोधित कर श्री गणवीर धम्मशील, भा.व.से. (2012) को वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2017

क्रमांक /एफ 10-03/2013/25/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसचित जाति की सूची के सरल क्रमांक 25 में घासी, घसिया के साथ सईस, सहिस, सारथी, सुत-सारथी, थनवार जाति को अधिसूचित करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों की जाति सूची में अनुक्रमांक 65 में शामिल सुत सारथी-सईस/सहीस जातियों को विलोपित करता है.

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 30-06-2016 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त, सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 2-18/2010/नौ/55-तीन.—राज्य शासन, “छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2014” में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 4 में अनारक्षित श्रेणी के न्यूनतम “40 प्रतिशत” अंक के स्थान पर “30 प्रतिशत” अंक तथा आरक्षित श्रेणी के न्यूनतम “30 प्रतिशत” अंक के स्थान पर “20 प्रतिशत” अंक प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. कंडिका 8 (19)(ञ) में अंक एवं शब्द “अंतिम तिथि से 07 दिन” के स्थान पर अंक एवं शब्द “अंतिम तिथि से 02 दिन” प्रतिस्थापित किया जाए.

यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 2-8/2013/नौ/55-तीन.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश परीक्षा नियम-2013 में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-9-2017 द्वारा जारी संशोधन की कंडिका-10 को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

वाणिज्य कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 3-39/2017/वाक/पांच.—छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 123 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति का निम्नानुसार गठन करता है :—

(1) आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़, रायपुर — सदस्य

(2) केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित अधिकारी आयुक्त, जीएसटी, रायपुर अपील. — सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशुनसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2017

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2018 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-115/गृह-सी/परीक्षा/2017.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 08 जनवरी, 2018 से 15 जनवरी, 2018 तक रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) तथा अंबिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 08-01-2018

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

सोमवार, दिनांक 08-01-2018

(1)	(2)	(3)
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	प्रश्न पत्र-विद्युत संबंधी विधियां, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	सोमवार, दिनांक 08-01-2018	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	प्रश्न पत्र-भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 09-01-2018	
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	प्रश्न-पत्र विद्युत संस्थापनायें, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	

मंगलवार, दिनांक 09-01-2018

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों की सहायता से) सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
	बुधवार, दिनांक 10-01-2018	
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम, वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
24.	प्रश्न पत्र "व्यावहारिक शाखा" पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
63.	प्रश्न पत्र-स्विच गेयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
	बुधवार, दिनांक 10-01-2018	
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	

बुधवार, दिनांक 10-01-2018

(1)	(2)	(3)
27.	प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	प्रश्न पत्र-इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, (बिना पुस्तकों के) सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये.	

गुरूवार, दिनांक 11-01-2018

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), नैसर्गिक संसाधन (खनिज) विभाग के अधिकारियों के लिये.	

गुरूवार, दिनांक 11-01-2018

(1)	(2)	(3)
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 12-01-2018

(1)	(2)	(3)
45.	प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये .	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 12-01-2018

(1)	(2)	(3)
51.	प्रश्न पत्र-भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	शनिवार, दिनांक 13-01-2018 एवं रविवार, दिनांक 14-01-2016 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 15-01-2018	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15-12-2017 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/14255/क/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	कोरबा	0.66 ए.	सर्वमंगला बाईपास सड़क निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-10-2017 को समय 12.00 बजे के स्थान सामुदायिक भवन नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सर्वमंगला बाईपास सड़क निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	8.33 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन की सुविधा हेतु
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 235943 दिनांक 05-04-2017 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/14259/क/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	चीतापाली	0.235 हे.	चीतापाली एनीकट योजना के बांध लाईन निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-11-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन चीतापाली नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — चीतापाली एनीकट योजना के बांध लाईन निर्माण.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 04
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — 198.96 लाख
9. परियोजना से होने वाला लाभ — औद्योगिक एवं सिंचाई हेतु
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान ड्रफ्ट क्रमांक 1512226 दिनांक 17-03-2017 के माध्यम से जमा किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

प्ररूप–एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/14263/क/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	करमंदी	1.498 हे.	करमंदी एनीकट योजना के बांध लाईन निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-10-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन करमंदी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	करमंदी एनीकट योजना के बांध लाईन निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	1.72 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	औद्योगिक एवं सिंचाई हेतु
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान ड्राफ्ट क्रमांक 1512224 दिनांक 17-03-2017 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/14267/क/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	कुरूडीह	0.219 हे.	कुरूडीह एनीकट योजना के बांध लाईन निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 08-11-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन कुरूडीह नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कुरूडीह एनीकट योजना के बांध लाईन निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	205.27 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	औद्योगिक एवं सिंचाई हेतु
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान ड्राफ्ट क्रमांक 1512225 दिनांक 17-03-2017 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

प्ररूप–एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/14271/क/भू–अर्जन/2017.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	चुईया	4.133 हे.	चुईया व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28–10–2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन चुईया नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	चुईया व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	37
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	75.14 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई हेतु
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान ड्राफ्ट क्रमांक 1512227 दिनांक 17–03–2017 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्रमांक/1395/भू-अर्जन प्रकरण 15 अ/82 वर्ष/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	दरबा	484	0.004	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग.	छतौना, दरबा, कुटेसर बडगांव, कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण.
			486	0.0062		
			489	0.0068		
			176	0.052		
			518	0.0768		
			173	0.0792		
			525	0.042		
			522/1	0.2232		
		योग	**08**	**0.4902**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्रमांक/1397/भू-अर्जन प्रकरण 16 अ/82 वर्ष/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	सोनपैरी	384/1	0.06	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग.	छतौना, दरबा, कुटेसर बडगांव, कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण.
			380	0.02		
			378	0.02		
			376/2	0.01		
			375	0.04		
			369/1	0.04		
			369/2	0.06		
			376/1	0.01		
		योग	**08**	**0.26**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक/1609/भू-अर्जन प्रकरण 05 अ/82 वर्ष 2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद	1401	0.42	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग.	लोक हित में नया रायपुर में ए.डी. रोड-1 का निर्माण.
			1814	0.09		
			1749	0.02		
			1752	0.28		
			1588	0.07		
			1590	0.43		
			1794	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1578	0.04		
			1579	0.15		
			1591/2	0.20		
			1591/3	0.15		
			1592/2	0.20		
			1592/3	0.11		
			1591/4	0.05		
			1592/4	0.24		
		योग	**15**	**2.49**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भरारी भाठा प.ह.नं. 20	0.41	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक 08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सिंघरी प.ह.नं. 39	4.42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक 09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	तुर्काडीह प.ह.नं. 54	1.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	देवरीकला प.ह.नं. 47	5.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्रमांक 11/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	घुटकु प.ह.नं. 52	18.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/17-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	ओड़गी	खैरा प.ह.नं. 03	2.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	खैरा व्यपवर्तन नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैयाथान के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/17-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	ओड़गी	रायसरई प.ह.नं. 07	5.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	चेन्द्रा जलाशय की शाखा नहर हेतु रायसरई में भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैयाथान के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देव सेनापती कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व वभाग

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक/1608/वा./भू.अ./प्र.क्र./04/अ-82/वर्ष 2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-झांकी, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	555/1	0.20
	556/2	0.46
	556/1	0.45
	565	0.52
	566	0.11
	567	0.29
	568/2	0.01
	568/1	0.29
	569/2	0.11
योग	09	2.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वभाग

जगदलपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2016-2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-छुरावण्ड
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	50/1	0.40
योग	01	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े कनेरा-छुरावण्ड मार्ग के कि.मी. 1/4 पाहण्डी नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्रमांक/10730/न.ग्रा.नि./2017.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में लोरमी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंध मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1488, बिलासपुर दिनांक 10-03-2017 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट लोरमी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम तुलसाघाट, लोरमी, गधीडीह के उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम गधीडीह, सारधा तथा मजगांव के पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम मजगांव, सेमरिया के दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सेमरिया, लोरमी, राम्हेपुर तथा तुलसाघाट के पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No./10730/T&CP/2017.—The existing land use map and register for the Lormi Planning Area Existing land use map and Register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 1488 dated 10-03-2017 of Bilaspur.

Therefore a notice is hereby given for general information of the public that the Existing land use map and register of Lormi Planning Area Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Joint Director, Town & Country Planning, under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on dt..

SCHEDULE

NORTH : Village Tulsaghat, Lormi and upto the North limit of Gadhidih.
EAST : Village Gadhidih, Sardha and upto the East limit of Majgaon.
SOUTH : Village Majgaon and upto the South limit of Semariya.
WEST : Village Semriya, Lormi, Ramhepur and upto the West limit of Tulsaghat.

The said adopted map and register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Inspection site : Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर
(ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

कार्यालयीन आदेश क्र.-113/17

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./वि.परी./2017/1025.—राज्य सेवा परीक्षा 2013 के माध्यम से चयनीत एवं परीविक्षा पर नियुक्त परीविक्षाधीन सहायक संचालक के लिए विभागीय परीक्षा भाग एक दिनांक 15-09-2017 से 18-09-2017 तक आयोजित की गई. परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर निम्नांकित सहायक संचालक विभागीय परीक्षा भाग एक में उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं :—

क्र.	रोल नंबर	सहायक संचालक का नाम
1.	1701	श्रीमती अंजनी राजपूत

जे. पी. पाठक,
संचालक.

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी कांकेर वन मण्डल, कांकेर

कांकेर, दिनांक 3 अक्टूबर 2017

क्रमांक/स्था./2017/2314.—मुख्य वनसंरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर के पत्र क्रमांक/स्थापना/2017/6909 दिनांक 29-08-2017 के पालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वनमण्डल अधिकारी कांकेर वनमण्डल कांकेर का प्रभार दिनांक 03-10-2017 को अपरान्ह को ग्रहण कर लिया गया है.

No./Est./2017/2314.—Certified that in according with the C.C.F. Kanker Cricle Letter No. 6909 date 29-08-2017 Shri Dhammshil Ganveer, (I.F.S.) Make over to Shri J. Sriram (I.F.S.) charge of the D.F.O. Kanker on After noon dated 03-10-2017 that the office receiving charge.

जे. श्रीराम,
वन मण्डल अधिकारी.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्रमांक/1646/15/2017-18/स्था.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक दिनांक 23-09-2017 के तारतम्य में माननीय डॉ. मोतीलाल बाचकर ने अपने वी.आर.एस. हेतु प्रस्तुत आवेदन के स्वीकृत होने की प्रत्याशा में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य पद का कार्यभार ग्रहण दिनांक 05-10-2017 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है.

हस्ता./-
अवर सचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2017

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखें]

क्रमांक/163 बी 121/2016-17.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं......... तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-लारा, प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सिंहा, प.ह.नं. 35, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	सिंहा/35	502/1	0.080
		योग-कुल ख. नं.	**1**	**कुल रकबा 0.080 हे.**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2017

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखें]

क्रमांक/164 बी 121/2016-17.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं........ तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-लारा, प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-गुड़ू, प.ह.नं. 28, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	गुड़ू/28	151/4	0.109
		योग-कुल ख. नं.	**1**	**कुल रकबा 0.109 हे.**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2017

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखें]

क्रमांक/165 बी 121/2016-17.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं......... तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-लारा, प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-छोटेभण्डार, प.ह.नं. 23, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	छोटेभण्डार/23	192/11	0.048
			192/9	0.153
		योग-कुल ख. नं.	**2**	**कुल रकबा 0.201 हे.**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 सितम्बर 2017

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 98 बी-121/2016-17.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 98 बी-121/2016-17, दिनांक 03-06-2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 जून 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा/34	13/7	0.101
			2/1	0.040
			योग कुल ख. नं. 2	**कुल रकबा 0.141 हे.**

रायगढ़, दिनांक 27 सितम्बर 2017

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखें]

क्रमांक 168/बी 121/2016-17.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं........ तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-लारा, प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-गोतमा, प.ह.नं. 34, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा/34	39/3	0.065
			योग-कुल ख. नं. 1	**कुल रकबा 0.065 हे.**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

प्रारूप–घ
(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 136 बी–121/2016–17.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 136 बी–121/2016–17, दिनांक 25–08–2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25 अगस्त 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना की संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	बुनगा/25	384/8	0.067
		योग–कुल ख. नं.	**1**	**कुल रकबा 0.067 हे.**

रायगढ़, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

प्रारूप–घ
(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 137 बी–121/2016–17.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 137 बी–121/2016–17, दिनांक 25–08–2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25 अगस्त 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी

को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	कोतासूर्रा/37	963/7	0.220
		योग-कुल ख. नं.	**1**	**कुल रकबा 0.220 हे.**

पी. के. सर्वे,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th October 2017

No. 83/I-7-3/2018 (Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following days are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2018 :—

Summer Vacation :— Monday 21st May to Friday 15th June, 2018.
Winter Holidays :— Monday 17th December to Monday 31st December, 2018

S. No.	Name of Holiday	No. of Days	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the week
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	New Year Day	1	01-01-2018	Monday
2.	Republic Day	1	26-01-2018	Friday
3.	Mahashivratri	1	14-02-2018	Wednesday
4.	Holi Holidays	2	02-03-2018 to 03-03-2018	Friday to Saturday

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Mahavir Jayanti	1	29-03-2018	Thursday
6.	Good Friday	1	30-03-2018	Friday
7.	Independence Day	1	15-08-2018	Wednesday
8.	Id-Ul-Zuha (Bakrid)	1	22-08-2018	Wednesday
9.	Janamashtami	1	03-09-2018	Monday
10.	Muharram	1	21-09-2018	Friday
11.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2018	Tuesday
12.	Dashera Holidays	5	15-10-2018 to 19-10-2018	Monday to Friday
13.	Deepawali Holidays	5	05-11-2018 to 09-11-2018	Monday to Friday
14.	Milad-Un-Nabi	1	21-11-2018	Wednesday
15.	Gurunanak Jayanti	1	23-11-2018	Friday
16.	Guru Ghasidas Jayanti	1	18-12-2018	Tuesday
17.	Christmas	1	25-12-2018	Tuesday

Notes :—

1. All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation & Winter Holidays.
2. Second & Third Saturdays of the month shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.
3. The Saturday falling on 6th October, 27th October and 1st December, 2018 shall be working days for the High Court. The remaining Saturdays which are not declared holidays and which are not included in Summer Vacation are declared non working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturdays.
4. Dr. Ambedkar Jayanti & Id-Ul-Fitr fall on Closed Saturday and Ram Navami & Raksha Bandhan fall on Sunday therefore, no Holiday is declared separately.
5. The High Court shall remain closed from 21-05-2018 to 15-06-2018 on account of Summer Vacation but the Registry shall remain open during Summer Vacation.
6. The High Court shall remain closed from 17-12-2018 to 31-12-2018 on account of Winter Holidays but the Registry shall remain open during Winter Holidays i.e. on 17-12-2018, from 19-12-2018 to 22-12-2018 and on 24-12-2018 and shall remain closed from 26-12-2018 to 31-12-2018.
7. Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-Ul-Fitr, Id-Ul-Zuha and Muharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.
8. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2018.

Bilaspur, the 23rd October 2017

No. 1130/Confdl./2017/II-1-2/2014.—Hon'ble Shri Justice Chandra Bhushan Bajpai, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has relinquished the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 13-10-2017 in the afternoon on the eve of His Lordship attaining the age of 62 years.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
GAUTAM CHOURDIA, Registrar General.

Bilaspur, the 10th October 2017

No. 1109/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt.III).—In partial modification of Registry order No. 1090/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt.III) dated 07-10-2017, Shri Shahabuddin Qureshi, Member of Higher Judicial Service and presently posted as I Additional Judge to the Court of I Additional District and Sessions Judge, Raigarh Stands transferred and posted as Officer-on-Special Duty in the Establishment of the High Court instead of Registrar (Computerisation) from the date he assumes charge of his office.

By order of Hon'ble the High Court,
RAJANI DUBEY, I/C Registrar General.